कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री त्रिदेव इण्डस्ट्रीज़ अमीनगर सराय रोड, बडौत (बागपत)**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**025/ 16, 15.11.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अंकित शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री त्रिदेव इण्डस्ट्रीज़ अमीनगर सराय रोड, बडौत (बागपत) द्वारा दिनांक 15.11.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बर्तन रखने के टोकरे एवं स्टैण्ड पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अंकित शर्मा, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन के पत्र संख्या-1890, दिनांक 11.01.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी फर्म द्वारा किचन में प्रयुक्त होने वाले लोहे के तारों के बने टोकरे एवं स्टैण्ड की निर्माण-बिक्री की जाती है। प्रार्थी द्वारा टोकरा एवं स्टैण्ड बर्तन रखने के लिये किचन के अंदर उपयोग किये जाने के कारण किचनवेयर मानते हुए बर्तन की तरह (Code 2A007001) 5% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है। कर निर्धारण के समय प्रार्थी द्वारा बर्तन के टोकरे को बर्तन से भिन्न मानते हुए इसे अवर्गीकृत श्रेणी के वस्तु की भांति 12.5% + अतिरिक्त कर आरोपित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी बिन्दु पर वर्ष 16-17 के प्रथम दो त्रैमास के रिटर्नों में घोषित कर की दर को अस्वीकार करते हुए अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है। बर्तन टोकरा एवं बर्तन स्टैण्ड न ही कॉमन पारलेंस में और न ही सामान्य व्यापारिक भाषा में बर्तन की श्रेणी में आता है। अत: बर्तन टोकरा एवं बर्तन स्टैण्ड उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची - I,II,III एवं IV मे सम्मिलित न होने के कारण अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति कर आरोपित किया गया है।

Wikipedia मे दी गयी परिभाषा के अनुसार utensil की 03 श्रेणी kitchen utensil , Eating utensil & Serving utensil में न होने के कारण भी "बर्तन टोकरा" व "बर्तन स्टैण्ड" utensil की श्रेणी में नहीं आता। अत: इस पर अनुसूची -II की भॉति 5% करदेयता विधि अनुरुप नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12-12-2013 को माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-035 / 13, दिनांक 05-08-2013 धारा- 59 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय में भी बर्तन टोकरा व बर्तन स्टैण्ड को अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु के रुप में निर्णीत किया गया है।

. 2

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पृच्छित प्रश्न पर पूर्व में माननीय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या- 035/13 दिनांक 05-08-2013 पर धारा 59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 12-12-2013 से बर्तन रखने का टोकरा एवं स्टैण्ड को अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए 12.5% व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी निर्णीत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये गये हैं जिसमें बर्तन रखने का टोकरा एवं स्टैण्ड की बिक्री पर 5% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी बिन्दु पर घोषित कर की दर अस्वीकार करते हुए अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही की गई है इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर,मेरठ जोन मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings

....3

pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष हेतु प्रश्नगत बिन्दु पर प्रथम दो त्रैमास हेतु अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही की जा चुकी है।. अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही मे सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 06 अप्रैल, 2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।